



Neutral Citation No. -

2026:AHC:56344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या – 2326 वर्ष 2026

कपिल सोनाकिया आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: उमेश कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राधे श्याम की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है: मुकदमा अपराध संख्या 130/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत, पुलिस स्टेशन गरुथा, जिला झांसी में, यह प्रार्थना करते हुए कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और वह न तो विक्रेता है और न ही कथित विक्रय विलेख का कोई गवाह है, जिसे धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बताया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी रोहित दुबे को पहले ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 10079/2025 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आगे यह भी कहा गया है कि विचार राशि का चेक आवेदक के बैंक खाते में जमा किया गया था और बाद में, उक्त राशि अन्य सह आरोपियों द्वारा निकाल ली गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि विचार राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी गई है और उसने उक्त राशि को स्वयं सहित सभी आरोपियों के बीच वितरित कर दिया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि

आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और आवेदक न तो विक्रेता है और न ही कथित विक्रय विलेख का कोई गवाह है, जिसे धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया बताया जा रहा है। सह-आरोपी रोहित दुबे को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 10079/2025 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन है कि विचार राशि का चेक आवेदक के बैंक खाते में जमा किया गया था और बाद में उक्त राशि अन्य सह-आरोपियों द्वारा निकाल ली गई थी। यह भी निवेदन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए आवेदक कपिल सोनाकिया की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करे, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19 मार्च, 2020

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

आरकेएम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"